


मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक: सी-6-१ - २०११-३-एक:
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३ फरवरी, २०११

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.



विषय:- विभागाध्यक्षों को उनके अधीनस्थ द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों के मामले में
लघुशास्ति के अधिकार।

संदर्भ:- सा.प्र.विभाग का आदेश क्र सी-6-३-१९८३-३-१, दिनांक 12.09.1983

सम्बन्धी
सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 12.09.1983 द्वारा मध्यप्रदेश
सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2)
के अधीन राज्य के संलग्न सूची के अनुसार विभागाध्यक्षों को उनके अधीन द्वितीय श्रेणी के
राज्य सिविल पद पर कार्यरत किसी अधिकारी पर उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट
लघुशास्तियां अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया था जिसके साथ तत्समय अस्तित्व में
रहे विभागाध्यक्षों की सूची भी आदेश के साथ संलग्न की गयी थी।

११
2— उपरोक्त आदेश जारी किये जाने के पश्चात् सूची में नाम न होने से नवगठित
विभागाध्यक्षों को उपरोक्तानुसार अधिकार का उपयोग करने में विधिक कठिनाई आ रही
है। अतः शासन द्वारा आदेश दिनांक 12.09.1983 में अंकित शब्द "संलग्न सूची के
अनुसार" विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा लिये गये
निर्णयानुसार आदेश दिनांक 12.09.1983 में किये गये संशोधन आदेश की प्रति संलग्न है।
४
इस संशोधन के फलस्वरूप अब राज्य के सभी विभागाध्यक्षों द्वारा उनके अधीन द्वितीय
श्रेणी के राज्य सिविल पद पर कार्यरत द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश
सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के पद (एक) से
(चार) में विनिर्दिष्ट लघु शास्तियां अधिरोपित की जा सकेगी।

अकीला हशमत
उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

२३/२/११

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2011

पृष्ठमांक: सी-6-1 -2011-3-एक:

प्रतिलिपि,

1. रजिस्टर जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर,
 2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल,
 3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर,
 4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल,
 5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल,
 6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
 7. प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश, भोपाल,
 8. मंत्री / राज्य मंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल,
 9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश, भोपाल,
 10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल,
 11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल,
 12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर,
 13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर / भोपाल,
 14. प्रमुख सचिव / सचिव / उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल,
 15. उपसचिव / अवरसचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी मध्यप्रदेश, मंत्रालय भोपाल,
 16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय भोपाल,
 17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
 18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल,
 19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल,
 20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल,
 21. श्री प्रकाश राव, तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी. कम्प्यूटर कक्ष, बल्लभ भवन भोपाल
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अकीला हशमत)
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

आदेश


भोपाल, दिनांक ३ फरवरी, 2011

क्रमांक: सी-6-१ -2011-३-एक: राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश
क्र. सी-6-3-1983-3-1, दिनांक 12.09.1983 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है,
अर्थात् -

संशोधन

उक्त आदेश में, अंकित शब्द “संलग्न सूची के अनुसार” विलोपित किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

लोक शिक्षण संचालनाय
मध्य प्रदेश

पृष्ठ. क्रमांक / समन्वय / डी / 45 / 2009-2010 / १८ भोपाल, दिनांक ३/३ / 2011
प्रतिलिपि:-

1. सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
3. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर, इन्दौर, भोपाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी विधि प्रकोष्ठ ग्वालियर।
7. प्राचार्य, शासकीय तात्याटोपे शिक्षा महाविद्यालय, शिवपुरी।
8. योग विभागाध्यक्ष, योग प्रशिक्षण केन्द्र, 1464 टी.टी.नगर, भोपाल।
9. अधीक्षक वैद्यशाला उज्जैन मध्यप्रदेश।
10. मुख्य पुस्तकालय इन्दौर, भोपाल रीवा एंव ग्वालियर मध्यप्रदेश।
11. प्रादेशिक सचिव भारत स्कउट एंव गाइड एसोसिएशन भोपाल।
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश।
13. समस्त अधिकारी अधीक्षक, सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश की और सूचनार्थ एंव आवश्क कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Asha
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश